प्रेषक,

अंकुर चौधरी
अपर सिविल जज (जू०डि०)
कोर्ट नं०-2, इटावा।

सेवा में,

महा-निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
इटावा।

पत्रांक संख्या- इटावा माह जून ,2020

विषय- शासनादेश संख्या-1363-2-4-2009-45(12)/91 टी.सी. नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ दिनांकित 13 मई 2009 और शासनादेश संख्या-1705-दो-4-2011/45(120/91) टी.सी. नियुक्ति अनुभाग लखनऊ दिनांकित 03-01-2017 के अनुसार स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को 03(तीन) अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किये जाने एवं सर्विस रिकार्ड में स्नातकोत्तर उपाधि शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय महोदय से ससम्मान निवेदन करना है कि मैं लोवर जुडिशियल सर्विसेज पी.सी.एस.(जे.) परीक्षा वर्ष 2016 के परिणाम घोषित होने के दिनांक 13-10-2018 के पूर्व ही विधि स्नातकोत्तर उपाधि धारक (एल.एल.एम.) हो गया था।

उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या-1363-2-4-2009 -45(12)/91 टी.सी. नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ दिनांकित 13 मई 2009 और शासनादेश संख्या-1705-दो-4-2011/45(120/91) टी.सी. नियुक्ति अनुभाग लखनऊ दिनांकित 03-01-2017 के अनुसार पी.सी.एस.(जे.)सेवा में चयन होने से पूर्व विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एल.एल.एम.) धारित करने वाले उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों को 03(तीन) अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया है। मेरे द्वारा पत्र के साथ (एल.एल.एम.) की अंकतालिका एवं डिग्री की प्रति संलग्न की जा रही है।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय से मुझे भी उक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में नियुक्ति दिनांक 18.06.2018 से 03(तीन) अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ स्वीकृत कराने व मेरे सर्विस रिकार्ड में स्नातकोत्तर उपाधि शामिल करने की कृपा करें। माननीय महोदय की महान कृपा होगी।

सादर!

दिनांक 16.06.2020

भवदीय,

Ankur Chaudhary
16/06/2020

(अंकुर चौधरी)
अपर सिविल जज(जू०डि०),
कोर्ट संख्या-2, इटावा।

संलग्नक-यथोक्त।